



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या -2668-अ0प्र0-07/पाकालि/16-05-अ0प्र0-07/15

दिनांक- 04/07/2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ताओं (जानपद) को 40% प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद)** के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम गृह जनपद/जन्मतिथि/वर्ग/वरि0क्र0	अवर अभियन्ता पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति पश्चात् आवंटित निगम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
1	श्री जितेन्द्र विक्रम सिंह/श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह फैजाबाद/13.07.71/ सामान्य/435	वि0जा0खं0वि0, लखनऊ	मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ	201620
2	मो0 जुनैद आलम/स्व0 आशिक अली लखनऊ/27.10.72/ सामान्य/439	वि0जा0पा0खं0, मेरठ	पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, मेरठ	201621

2. "यह प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0-60876/2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"
3. सम्बन्धित अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-
 - (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्यापति है तो उनके नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्यापति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
 - (घ) नियंत्रक अधिकारी के साथ-साथ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत), यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रोन्नति आदेश की तिथि से एक माह के भीतर नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लें। **दिनांक 31.07.2016** तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति का पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
4. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

Indra

5. प्रोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
6. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक, प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती का 'क्षेत्र (जोन)', वर्तमान में कार्यरत 'क्षेत्र (जोन)', से भिन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से शिथिलता बरतनी है तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को सकारण प्रस्ताव बनाकर कारपोरेशन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :- 2668-अ०प्र०-07/पाकालि/2016/तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/मेरठ।
 5. निदेशकगण (का०प्र० एवं प्रशा०/वितरण/वित्त/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 7. महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करायें।
 8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 9. उप सचिव (अ०प्र०-03/04) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 12. संबंधित अधिकारी।
 13. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,



(इन्द्रमणि)

उप सचिव